# कार्यालय :– जिला एवं सत्र न्यायालय, गुना (म.प्र.)

## निविदा–आमंत्रण

सर्वसाधारण को इस निविदा विज्ञप्ति से सूचित किया जाता हैं कि जिला न्यायालय गुना के शासकीय वाहन एम्बेसेडर कार कमांक एम.पी. 02–6276 को सीलबंद निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से विकय किया जाना हैं। इस विज्ञाप्ति में दर्शाई गई निविदा की शर्तो के अधीन रहते हुए जो व्यक्ति उक्त वाहन कय करने के इच्छुक हो, वह कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना में दिनांक 04.01.18 सांय 5.00 बजे निविदा प्रस्तुत सकते हैं। निविदा की शर्तो का निविदाकर्ता द्वारा पूर्ण रूप से पालन न किये जाने की स्थिति में स्वयमेव निरस्त की जावेंगी। निविदायें दिनांक 06.01.18 को सांय 04.00 बजे जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं जो निविदाकर्ता तत्समय उपस्थित होगे, की उपस्थिति में खोली जावेगी।

निविदा के माध्यम से विकय किये जाने वाले वाहन की सूची निम्नानुसार है:–

| स.क. | वाहन का प्रकार | वाहन कमांक | माडल वर्ष | निष्प्रयोजित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | एम्बेसेडर कार | एम.पी. 02–6276 | 2002 | 25000/– |

इस हेतु विस्तृत विवरण कार्यालय से कार्यालयीन समय 11 से 05 बजे तक न्यायालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता हैं एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिकारिक वेबसाइट (www.mphc.ni) पर भी देखा जा सकता हैं। एम्बेसेडर कार की निविदा के लिए निविदा की शर्ते निम्नानुसार हैं:–

## निविदा–शर्ते

1. जिला न्यायालय गुना के कमांक 01 एंबेसेडर कार जहां जिस हालत में हैं कि निविदा की जानी हैं, उसके संबंध में निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन के पश्चात् दिनांक 04.01.18 तक जो भी व्यक्ति निविदा द्वारा उक्त कार कय करना चाहता हो वह अपनी निविदा के साथ धरोहर राशि रूपये 5000/–(पाच हजार) का डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित बंद लिफाफे में

रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना में प्रेषित करें।

2. नीलामी उपरांत निविदा स्वीकृत होती है तब उस निविदाकार को निविदा राशि उसी दिन नजारत अनुविभाग, गुना में नगदी जमा कराना होगी तथा वाहन का अन्तरण आर.टी.ओ. से कराने के पश्चात् वाहन केता को सुपुर्द किया जावेगा तथा वाहन के अन्तरण का समस्त खर्च केता स्वंय वहन करेगा।

3. कय किये गये वाहन का रजिस्ट्रेशन सुपुर्द होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर आरटीओ कार्यालय गुना से पंजीयन करवाकार इस कार्यालय को सूचित करना होगा।

4. एम्बेसेडर कार की निविदा के संबंध में जितनी भी बंद लिफाफे में निविदाएं विज्ञप्ति प्रकाशन के पश्चात् दिनांक 04.01.18 को सांय 05.00 तक नजारत अनुविभाग में प्रस्तुत करें। **उपरोक्त सभी निविदाएं जिला एवं सत्र न्यायालय, गुना द्वारा दिनांक 06.01.18 को सांय 04.00 बजे खोली जाऐगी और जो निविदा सबसे अधिक बोली के कारण स्वीकृत की गई होगी उस निविदाकार का नाम सूचना पटल पर चस्पा किया जाएगा।**

5. जिन निविदाकारों की निविदाएं अस्वीकृत होगी उनके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट उन्हें मूलतः वापिस लौटाया जावेगा।

6. जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत होती हैं और वह निविदा की शेष राशि जमा करवाने में असफल होता हैं तो धरोहर की राशि रूपये 5000/– (पाच हजार) राजसात की जावेगी।

7. निविदा की स्वीकृति/अस्वीकृति का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय, गुना को प्राप्त रहेगा।

8. वाहन कमांक, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, निविदाकार निविदा स्थान पर ही मिलान कर लेवे। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति कय संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त मान्य नहीं की जावेगी।

9. वाहन का भौतिक रूप से निरीक्षण हेतु जिला नाजिर गुना से संपर्क करे।

10. उपरोक्त नियमों की शर्तो का शिथिलीकरण स्थापना पर जिला एवं सत्र न्यायालय, गुना के पास सुरक्षित रहेगा।

जिला एवं सत्र न्यायालय,
गुना (म.प्र.)

# विज्ञप्ति

जिला न्यायालय गुना के अनुपयोगी एम्बेसेडर कार मॉडल 2002 एम.पी. 02–6276 को निविदा के माध्यम से विक्रय की जाना हैं, जिसकी न्यूनतम कीमत रूपये 25000/–(पच्चीस हजार) रूपये रखी गई हैं। वाहन क्रय करने वाले इक्छुक व्यक्ति दिनांक 04.01.18 को शाम 05 बजे तक निविदा इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा की शर्ते कार्यालय समय 11 से 05 बजे तक कार्यालय नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती हैं तथा शर्ते वेवसाइट www.mphc.in पर भी उपलब्ध हैं।

प्रभारी अधिकारी
नजारत अनुभाग
जिला न्यायालय, गुना